

१८

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक. एफ.३-३१/२०१३/बी-३/दो,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ५/०३/२०१४

पुलिस महानिदेशक,  
पुलिस मुख्यालय  
भोपाल।

विषय:- १२वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष २०१२-१७ के अंतर्गत राज्य स्तरीय डायल-१०० कंट्रोलरूम  
एवं कमाण्ड सेंटर की स्थापना।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. पुमु/१८/योजना/आर.एण्ड डी सेल/६९६ दिनांक १८.०७.२०१३

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक २८.०२.२०१४ में  
सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार राज्य स्तरीय डायल-१०० कंट्रोल रूम में कमाण्ड  
सेंटर स्थापित करने की परियोजना लागत राशि रूपये २५२.५१ करोड़ (रूपये दो सौ बावन  
करोड़ इक्यावन लाख मात्र) प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- (१)- वर्ष २०१४-१५ के बजट में इस परियोजना हेतु बजट प्रावधान किया जावे।
- (२)- डायल १०० आधारित राज्य स्तरीय कंट्रोलरूम सह कमाण्ड सेंटर तथा पूर्व में  
स्वीकृत सीसीटीवी आधारित सुरक्षा एवं निगरानी योजना एवं यातायात प्रबन्धन  
योजना के अंतर्गत स्थापित संसाधनों का इन्टीग्रेशन किया जावे। भविष्य में  
निर्भया फण्ड के अंतर्गत लोक परिवहन वाहनों में स्थापित सीसीटीवी कैमरा फीड  
तथा जी पी एस लोकेशन की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में प्राप्त करने की  
व्यवस्था की जावे।
- (३)- परियोजना में प्रथम वर्ष २०१३-१४ समाप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में परियोजना  
का क्रियान्वयन वर्ष २०१४-१५, २०१५-१६ एवं २०१६-१७ में भी किया जाये।  
वाहनों को किराए पर लेने का कार्य राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापना के बाद  
ही हो पाएगा। अतः वर्ष २०१४-१५ में वार्षिक आवश्यकता का आकलन करते  
हुए आने वाले वर्षों में बजट में प्रावधान किया जावें।
- (४)- कॉलसेन्टर की स्थापना के लिए आर.एफ.पी. तैयार करने के समय सूचना  
प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग लिया जाए।
- (५)- चयनित वेण्डर के द्वारा ही हार्डवेयर प्रदाय करने और उसका रखरखाव की  
जिम्मेदारी का प्रावधान आर.एफ.पी. में की जावे।

125 //2//

6)– कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था की जावे ।  
परियोजना संचालन के लिये सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था की जावे ।  
आवश्यकतानुसार योग्य कन्सलेटेन्ट की सेवायें ली जावे ।

- 2/ उक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या 03 मुख्य शीर्ष 2055—पुलिस—(00)—अन्य व्यय—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—(7346)—केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र के अंतर्गत विकलनीय होगा ।
- 3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप यूओ क्रं 277/252/ब-8/चार/14 दिनांक 01.03.2014 तथा मंत्रि परिषद आदेश आयटम क्रं 19 दिनांक 04.03.2014 के अनुश्वरण में जारी किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

म0प्र0शासन, गृह विभाग  
भोपाल, दिनांक ५ / 03 / 2014

क्रमांक.एफ.3—31/2013/बी-3/दो,  
प्रतिलिपि :—

- 1— महालेखाकार, (लेखा एंव हकदारी) मध्यप्रदेश ग्यालियर ।
  - 2— सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग ।
  - 3— आयुक्त कोष एंव लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
  - 4— संबंधित कोषालय अधिकारी ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 5— गार्ड फाइल ।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग